

अनुसूचियाँ (Schedules)

मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है।

पहली अनुसूची- राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। इसमें भारत राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है।

There were 8 schedules in the original constitution. At present the number of schedules is 12.

First Schedule - States and Union Territories. It mentions the Indian states and 8 Union Territories. *

विधायिका (Legislative)

कार्य ⇒ Junction ⇒ Making laws कानून बनाना

केंद्र (Center)

संसद (Parliament)


कार्य ⇒ केंद्र सरकार / पूरे देश के लिए कानून बनाना

→ लोकसभा
→ राज्यसभा
→ राष्ट्रपति (President) > सदस्य ⇒ MP

पूरे भारत

राज्यों में (states)

पंचायत, नगरपालिका
Panchayats, Municipality.



विधायिका (राज्य सरकार)



राज्य विधानमंडल ⇒ राज्य सरकार के लिए कानून बनाना

State legislature

→ विधानसभा (Legislative Assembly)

→ विधानपरिषद् (Legislative Council) → सदस्य ⇒ MLC

→ राज्यपाल (Governor)

संसद
MP ⇒ member of Parliament

विधायक
MLA ⇒ member of Legislative Assembly
MLC ⇒ member of Legislative Council

प्रत्यक्ष निर्वाचन

Direct election



मतदाता (voters) ⇒ Indian Public
भारतीय जनता



Age/आयु ⇒ 18 या 18 वर्ष से ज्यादा

⇒ लोकसभा / Lok Sabha ⇒ MP

⇒ विधानसभा (Legislative Assembly) ⇒ MLA

⇒ पंचायत / नगरपालिका (Panchayat / Municipality)

अप्रत्यक्ष निर्वाचन
Indirect election

↳ मतदाता (Voters) MPs/MLAs

→ जनता के प्रतिनिधि
Representative of Public

President राष्ट्रपति

Vice-President उपराष्ट्रपति

Rajyasabha राज्यसभा

Legislative Council विधानपरिषद्

Note: → सरकार का गठन
करने निर्वाचन ⇒ प्रत्यक्ष
Direct

Ist ⇒ 28 राज्य
8 U.T's > भारत

IInd ⇒ वेतन, पेंशन

IIIrd ⇒ शपथ (oath)

IVth ⇒ राज्यसभा में सीटों का आवंटन
Allotment of seats in RS

⇒ जहां विधानसभा होगी वहां राज्यसभा में सीट दी जायेंगी।

→ 28 राज्य (states) ✓
→ 3 केंद्र शासित प्रदेश (U.T's)

दिल्ली

पुद्दुचेरी

जम्मू काश्मीर

- 1 → अंडमान & निकोबार
- 2 → लद्दाख, चण्डीगढ़
- 3 → लक्षद्वीप, ददर नागर
- 4 → हवेली & दमन दीव
- 5

संसद (Parliament)




संविधान ⇒ अगर कुछ जोड़ा जायेगा (Add on) ⇒ तब भी संशोधन (Amendment)
Constitution ⇒ अगर " हटाया (Remove) जायेगा " " " " "

चौथी अनुसूची - इसके अन्तर्गत भारत के सभी 28 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों यथा - दिल्ली, पुद्दुचेरी तथा जम्मू - कश्मीर के राज्य सभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।

Fourth Schedule - Under this, details of representation received in Rajya Sabha of all 28 states of India and 3 union territories namely Delhi, Puducherry and Jammu & Kashmir are given.

पांचवीं अनुसूची- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबन्ध हैं।

Fifth Schedule- It contains provisions regarding the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.



छठी अनुसूची- इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध किया गया है।

Sixth Schedule- Under this, provision has been made for the administration of tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

VIth ⇒ ST ⇒ प्रशासन और नियंत्रण (Administration & Control)
↳ पराज्या ⇒ ATMM (असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम)

सातवीं अनुसूची- इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तीन सूचियाँ हैं। यथा— (i) संघ सूची (ii) राज्य सूची तथा (iii) समवर्ती सूची।

Seventh Schedule- It gives information about the division of powers between the Union and the states. It has the following three lists. As- (i) Union List (ii) State List and (iii) Concurrent List.

7th ⇒ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन
Division of Powers between center & state.

(1) संघ सूची (Union List) ⇒ 100 subjects / विषय ⇒ केंद्र सरकार
↳ पहले (97)

(पहले 66)

राज्य सूची (State list) \Rightarrow 61 विषय / subjects \Rightarrow राज्य सरकार

समवर्ती सूची (Concurrent list) \Rightarrow केंद्र + राज्य ✓
 \hookrightarrow 52 विषय (पहले 47)

आठवीं अनुसूची- भाषाएँ (Languages) - मूल रूप से आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषायें थीं। वर्तमान में इसके अन्तर्गत 22 भाषाएँ हैं।

Eighth Schedule - Languages - Originally there were a total of 14 languages in the Eighth Schedule. At present there are 22 languages under it.

⇒ १। संविधान संशोधन 1967 ⇒ सिंधी

7। (Constitution Amendment 1992) ⇒ (नमज) ⇒ नेपाली, माणिपुरी, कोङ्की

92 संविधान संशोधन 2003 ⇒ (SDMB) ⇒ बंगाली, जगरी, मैथिली, बो